संख्या-20/2024/1195/2024/38-6002(099)/1/2021

प्रेषक,

राजेंद्र राम,
संयुक्त सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र०, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 14.11.2024

विषयः- बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-83 (अनुसूचित जाति मद) में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-183/कार्य0अनु0/बा०सा०आ०प्रा०रो०यो० /2024-25, दिनांक-03.04.2024 एवं पत्रांक-494/कार्य0अनु0/बा०सा०आ०प्रा० रो०यो0/2024-25, दिनांक-10.09.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना (शत-प्रतिशत राज्य पोषित) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-83 (अनुसूचित जाति मद) में प्राविधानित धनराशि रू०-1000.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु०-500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
4. प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय में योजना विषयक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाएगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दि0-04.03.2024 एवं अन्य-संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय से पूर्व उ0प्र0 विधान सभा उप निर्वाचन-2024 हेतु प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का किसी प्रकार उल्लंघन न हो।
11. प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र समयान्तर्गत सुपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की जा सके।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये-5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या0-83 लेखा शीर्षक-2515007890500 अम्बेडकर रोजगार योजना मानक मद-27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दि0-04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राजेंद्र राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं तद्दिनांक।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेंद्र राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।